आ क्र 111/स्था/2024
दिनांक 16.01.2024

संचालनालय, गैस राहत एवं पुनर्वास, 01 शिवाजी नगर भोपाल

विज्ञप्ति क्रमांक : एफ–17/सं.नि./2023/3367 दिनांक 13.12.2023

चिकित्सा अधिकारियों की संविदा नियुक्ति साक्षात्कार दिनांक 16/01/2024

संविदा चिकित्सा अधिकारियों की चयनित अभ्यर्थियों की सूची – दिनांक 16/01/2024

संचालनालय, गैस राहत एवं पुनर्वास, भोपाल के अधीन गैस राहत चिकित्सालयों में अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग संवर्ग के रिक्त पदों पर चिकित्सा अधिकारियों की संविदा नियुक्ति हेतु संविदा भर्ती नियम 2003 एवं मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी–5–2/2018/1/3, भोपाल दिनांक 22/07/2023 द्वारा प्रसारित निर्देशों के परिपेक्ष्य में चयनित अभ्यर्थियों की सूची आज दिनांक 16/01/2024 को निम्नानुसार प्रकाशित की जा रही है।

स. क्र.	आवेदन पत्र क	आवेदक का नाम	मेडिकल कांउसिल का पंजियन क्रमांक	आधार नम्बर/पैन कार्ड नम्बर/मतदाता परिचय पत्र क्र.	आवेदक का पता	आवेदक का दूरभाष क्रमांक	मध्यप्रदेश के मूल निवासी है/ नहीं	लिंग	वर्ग अनारक्षितरक्षित/ अपिव/अजा./ अनु.ज.जा	जाति प्रमाण पत्र में जिले का नाम एवं जारी दिनांक एवं स्थान	जन्म दिनांक	01 जनवरी 2021 को आयु			विवाहित है/ नहीं	संतान की संख्या	चयन हेतु मेरिट तैयार करने के मापदण्ड प्रत्येक प्रयत्न हेतु ऋणातमक 02 अंक डिप्लोमा							साक्षात्कार	कुल योग	रिमार्क
								महिला / पुरूष				वर्ष	माह	दिवस			स्नातक उपाधि (प्राप्त अंको का भरांश अनुपात में)	स्नात कोत्तर	डिप्लोमा	NCC का 'C' प्रमाण पत्र अथवा NSS का प्रमाण पत्र	पुरूष खिलाडी / महिला खिलाडी जिसने विश्वविद्यालय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया हो	किसी चिकित्सा संस्था में चिकित्सक के रूप में अनुभव	योग			
																	65 अंक	10 अंक	05 अंक	05 अंक	05 अंक	05 अंक	90 अंक			
1	13	डॉ. आशुतोष अग्रवाल	MP- 19319	639094558461	बी–26, सेक्टर बी, पटेल नगर, रायसेन रोड, जिला भोपाल, म.प्र. पिन कोड– 462022	8458848256	नहीं	पुरूष	अनारक्षित		14/11/1990	32	1	18	नहीं	0	40.380					5.000		5.000	50.380	
2	14	डॉ. सिद्रा मोकर्रम	MP- 24960	502861751973	141/1 प्रोफेसर कॉलोनी, नियर रविंद्र भवन, जिला भोपाल, म.प्र. पिन कोड– 462002	9967166292	हॉं	महिला	अनारक्षित		05/06/1993	30	5	21	हॉं	1	45.342							4.000	49.342	
3	16	डॉ. ताहलील सिददीकी	MP- 21113	774984527463	79, गुलशन–ए–कुरेशा, भोपाल प्लाजा के सामने, लक्ष्मी टॉकीज़ रोड, जिला भोपाल, म.प्र. पिन कोड– 462001	9630103761	हॉं	महिला	अनारक्षित		20/07/1990	32	5	6	हॉं	2	39.637					4.000		5.000	48.637	
4	20	डॉ. अविशा खाण्डेकर	MP-33297	452281807229	जी–3/348, गुलमोहर कॉलोनी, नियर सागर पेराडाइस, सिवोए कॉम्पलेक्स,जिला भोपाल, म.प्र. पिन कोड–462039	9399237483	हॉं	महिला	अनारक्षित		21/12/1996	26	0	11	नहीं	0	42.582							6.000	48.582	

16/1/24

स. क्र.	आवेदन पत्र क	आवेदक का नाम	मेडिकल कांउसिल का पंजियन क्रमांक	आधार नम्बर/पैन कार्ड नम्बर/मतदाता परिचय पत्र क्र.	आवेदक का पता	आवेदक का दूरभाष क्रमांक	मध्यप्रदेश के मूल निवासी है/नहीं	लिंग महिला / पुरूष	वर्ग अनारक्षितरक्षित/अपिव/अजा./अनु.ज.जा	जाति प्रमाण पत्र में जिले का नाम एवं जारी दिनांक एवं स्थान	जन्म दिनांक	01 जनवरी 2021 को आयु वर्ष	माह	दिवस	विवाहित है/नहीं	संतान की संख्या	चयन हेतु मेरिट तैयार करने के मापदण्ड प्रत्येक प्रयत्न हेतु ऋणातमक 02 अंक डिप्लोमा: स्नातक उपाधि (प्राप्त अंको का भरांश अनुपात में)	स्नात कोत्तर	डिप्लोमा	NCC का 'C' प्रमाण पत्र अथवा NSS का प्रमाण पत्र	पुरूष खिलाडी / महिला खिलाडी जिसने विश्वविद्यालय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया हो	किसी चिकित्सा संस्था में चिकित्सक के रूप में अनुभव	योग	साक्षात्कार	कुल योग	रिमार्क
																	65 अंक	10 अंक	05 अंक	05 अंक	05 अंक	05 अंक	90 अंक			
5	1	डॉ. श्रुति अग्रवाल	MP-27041	830858856673	म. न.– 37 गूजरपुरा, नियर पीर गेट, जिला भोपाल पिन कोड– 462001	9685785976	नहीं	महिला	अनारक्षित		12/04/1995	27	8	19	नहीं	0	39.266							6.000	45.266	
6	21	डॉ. मोहम्मद एमन मलिक	MP-33301	730072896120	म.न. 10, ऋिषी विलास कॉलोनी, एयरपोर्ट रोड, भोपाल, म.प्र., पिन कोड–462036	8821056453	हॉं	पुरूष	अनारक्षित		16/02/1995	28	11	0	नहीं	0	38.496							6.000	44.496	
7	2	डॉ. सुरूचि शर्मा	MP-23730	702266278513	म. न.– आकांक्षा एनक्लेव, बावड़िया कला नियर दाना पानी गार्डन,जिला भोपाल पिन कोड– 462039	7000804725	नहीं	महिला	अनारक्षित		02/06/1993	29	4	1	नहीं	0	37.037							7.000	44.037	
8	5	डॉ. साक्षी खरे	MP-31467	354285788722	जे–15 ब्लॉक–13,सहयाद्रि परिसर, भदभदा रोड, डिपो चौराहे के पास, जिला भोपाल पिन कोड– 462003	8839211963	हॉं	महिला	अनारक्षित		25/06/1997	25	6	7	नहीं	0	37.621							6.000	43.621	
9	4	डॉ. इकरान खान	MP-35896	316432133486	ख्वाजा खान, बजरिया मोहल्ला, गोरझामर, जिला सागर, म.प्र. पिन कोड– 462043	9179161781	हॉं	पुरूष	अन्य पिछड़ा वर्ग	सागर 20/11/2017	14/03/1992	30	9	18	नहीं	0	36.427							6.000	42.427	
10	6	डॉ. संघमित्रा बिसारिया	MP-19810	784349674386	78 नीरज नगर, नियर शाहपुरा थाना, जिला भोपाल, म.प्र. पिन कोड– 462039	7828201368	हॉं	महिला	अनुसुचित जाति	भिण्ड 10/07/2019	09/10/1990	32	2	23	हॉं	2	38.550							3.000	41.550	

16/1/24

स. क्र.	आवेदन पत्र क	आवेदक का नाम	मेडिकल कांउसिल का पंजियन क्रमांक	आधार नम्बर/पैन कार्ड नम्बर/मतदाता परिचय पत्र क्र.	आवेदक का पता	आवेदक का दूरभाष क्रमांक	मध्यप्रदेश के मूल निवासी है/नहीं	लिंग	वर्ग अनारक्षितरक्षित/अपिव/अजा./अनु.ज.जा	जाति प्रमाण पत्र में जिले का नाम एवं जारी दिनांक एवं स्थान	जन्म दिनांक	01 जनवरी 2021 को आयु			विवाहित है/नहीं	संतान की संख्या	चयन हेतु मेरिट तैयार करने के मापदण्ड प्रत्येक प्रयत्न हेतु ऋणातमक 02 अंक डिप्लोमा							साक्षात्कार	कुल योग	रिमार्क
								महिला / पुरुष				वर्ष	माह	दिवस			स्नातक उपाधि (प्राप्त अंको का भरांश अनुपात में)	स्नात कोत्तर	डिप्लोमा	NCC का 'C' प्रमाण पत्र अथवा NSS का प्रमाण पत्र	पुरुष खिलाडी / महिला खिलाडी जिसने विश्वविद्यालय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया हो	किसी चिकित्सा संस्था में चिकित्सक के रूप में अनुभव	योग			
																	65 अंक	10 अंक	05 अंक	05 अंक	05 अंक	05 अंक	90 अंक			
11	15	डॉ. रजिया इकबाल	MP- 24960	297372063473	55/बी किदवाई रोड बिहाइन्ड सिविल कोर्ट, रामनगर कॉलोनी शाहजनाबाद, जिला भोपाल, म.प्र. पिन कोड– 462001	7024867331	नहीं	महिला	अन्य पिछड़ा वर्ग	भोपाल 14/12/2015	06/09/1969	53	3		हॉं	5	35.478							4.000	39.478	
12	7	डॉ. प्रणवीर सिंह चौहान	MP-16755	299554303982	बी–50 ओल्ड मिनाल रेसिडेन्सी, जे.के. रोड, जिला भोपाल, म.प्र. पिन कोड– 462023	7999700525	हॉं	पुरूष	अन्य पिछड़ा वर्ग	रायसेन 14/08/2019	05/09/1981	41	3	26	हॉं	1	32.500							4.000	36.500	

सदस्य सचिव
डॉ. एस. एस. राजपूत
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
गैस राहत, भोपाल

संचालनालय, गैस राहत एवं पुनर्वास,1 शिवाजी नगर, भोपाल

/आदेश/

भोपाल,दिनांक /01/2024

कमांक एफ 17–4/2024/............/ भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग संविदा सेवा (नियुक्ति तथा सेवा की शर्ते) नियम–2003 अंतर्गत संविदा नियुक्ति हेतु गठित विभागीय चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को पदभार ग्रहण तिथि से आगामी एक वर्षं के लिए संविदा चिकित्सा अधिकारी के पद पर मासिक संविदा वेतन राशि **रू 56,100/–** (रू. छप्पन हजार एक सौ मात्र) पर उनके नाम के सम्मुख अंकित चिकित्सा संस्था में निम्नलिखित शर्तो के अधीन संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है :–

क.	संविदा चिकित्सा अधिकारी का नाम	वर्ग	पदस्थापना स्थल
1	डॉ. आशुतोष अग्रवाल	अनारक्षित	कमला नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत,भोपाल।
2	डॉ. सिद्रा मोकर्रम	अनारक्षित	शाकिर अली खान चिकित्सालय, गैस राहत,भोपाल।
3	डॉ. ताहलील सिद्दीकी	अनारक्षित	जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय,गैस राहत,भोपाल
4	डॉ. अविशा खाण्डेकर	अनारक्षित	इंदिरा गांधी महिला एवं बाल चिकित्सालय,गैस राहत, भोपाल।
5	डॉ. श्रुति अग्रवाल	अनारक्षित	मास्टरलाल सिंह चिकित्सालय, गैस राहत,भोपाल।
6	डॉ. मोहम्मद एमन मलिक	अनारक्षित	जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत,भोपाल।
7	डॉ. सुरूचि शर्मा	अनारक्षित	इंदिरा गांधी महिला एवं बाल चिकित्सालय, गैस राहत,भोपाल।
8	डॉ. साक्षी खरे	अनारक्षित	कमला नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत,भोपाल।
9	डॉ. इकरान खान	अन्य पिछड़ा वर्ग	जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय,गैस राहत,भोपाल
10	डॉ. संघमित्रा बिसारिया	अनुसूचित जाति	मास्टरलाल सिंह चिकित्सालय, गैस राहत,भोपाल।
11	डॉ. रजिया इकबाल	अन्य पिछड़ा वर्ग	शाकिर अली खान चिकित्सालय, गैस राहत,भोपाल।
12	डॉ. प्रणवीर सिंह चौहान	अन्य पिछड़ा वर्ग	मुख्य चिकित्सा अधिकारी,गैसराहत,भोपाल के अधीन

नियुक्ति की शर्ते निम्नानुसार रहेगी:–

1. चयनित अभ्यर्थी,नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के तत्काल पश्चात नियुक्ति प्राधिकारी /संबंधित चिकित्सालय प्रमुख के साथ 500 रूपए के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर निर्धारित प्रारूप में करार निष्पादित करेगा। करार के निष्पादन पर होने वाले व्यय, चयनित अभ्यर्थी द्वारा वहन किए जाएगें.चयनित अभ्यर्थी को उसकी पदस्थापना चिकित्सालय में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से संविदा सेवा में माना जाएगा।

2. संविदा पर कार्य करने हेतु नियुक्त अधिकारी के अनुबंध को एक बार निष्पादित किए जाने के पश्चात् समान संविदा शर्तो पर पुनःनए सिरे से अनुबंध निष्पादित करने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रचलित अनुबंध पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगामी एक वर्ष के नवीनीकरण की टीप दर्ज की जावेगी तथा पुनः फ्रेश अनुबंध निष्पादित करने की अनिवार्यता नहीं होगी।

3. चयनित अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह नियुक्ति आदेश जारी होने के भीतर संविदा नियुक्ति के स्थान पर 07 दिवस में अपना कार्यभार ग्रहण करें। उक्त काल अवधि में कार्यभार न ग्रहण करने की दशा में संविदा नियुक्ति स्वतः रदद् हो जाएगी।

4. संविदा चिकित्सा अधिकारी का चरित्र सत्यापन,शासकीय सेवकों को लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जाएगा। चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा नियुक्ति बिना कोई कारण तुरन्त रदद् कर दी जाएगी।

5. प्रथम मास के लिए संविदा राशि प्राप्त करने के पूर्व, संविदा अधिकारी स्वयं अपने खर्चे पर जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा किया जाने वाला चिकित्सीय परीक्षण करवाएगा। इस चिकित्सीय परीक्षण में उपयुक्त पाए जाने पर ही संविदा नियुक्ति वैध होगी, तत्पश्चात ही प्रथम वेतन आहरण किया जाएगा। सेवा निवृत्त शासकीय सेवक को भी, यदि वे संविदा अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाएं, ऐसा चिकित्सीय परीक्षण करवाना आवश्यक होगा।

6. नियुक्ति पश्चात् किसी भी समय यदि कोई भी अभिलेख असत्य या छिपाए हुए पाए जाते हैं तो संबंधित की संविदा नियुक्ति तत्काल समाप्त की जाएगी व संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

निरन्तर.....2

7. संविदा नियुक्ति, किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय पर एक माह का सूचना या एक माह की संविदा राशि का भुगतान करके संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

8. संविदा चिकित्सा अधिकारी बिना किसी विशिष्ट कारण के बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से एक माह से अधिक के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा नियुक्ति ऐसी अनुपस्थिति की तारीख से स्वतः समाप्त हुई मानी जाएगी एवं नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

9. संविदा पर कार्यरत् चिकित्सा अधिकारी को एक कैलेन्डर वर्ष में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश एवं 3 दिन के एच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त उन्हें पृथक से एक वर्ष में 15 दिवस के विशेष अवकाश की पात्रता होगी। कैलेण्डर वर्ष की समाप्ति पर शेष अवकाश स्वतः व्यपगत हो जायेगा।

10. संविदा पर नियुक्त महिला चिकित्सा अधिकारी को प्रसूति अवकाश की पात्रता उन प्रतिबंधों के साथ रहेगी, जो महिला शासकीय सेवक के लिए मध्यप्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम, 1977 में निर्धारित है। इसी प्रकार संविदा पर नियुक्त पुरूष चिकित्सा अधिकारी को वर्णित अवकाश नियम अनुसार 15 दिवस के पितृत्व अवकाश की पात्रता होगी।

11. संविदा चिकित्सा अधिकारी उसकी संविदात्मक कालावधि के लिए किन्हीं पेन्शन संबंधी प्रसुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे ऐसी कालावधि के लिए कोई बोनस आदि भी देय नहीं होगा।

12. संविदा चिकित्सा अधिकारी मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 द्वारा शासित होगा।

13. संविदा चिकित्सा अधिकारी को चिकित्सालय की आवश्यकता अनुसार एवं निर्धारित टाइम टेबिल अनुसार ड्यूटी चिकित्सालय में देनी होगी। ड्यूटी प्रातः 8 से 2 बजे तक दोपहर 2 से 8 बजे अथवा रात्रि 8 से अगले दिन प्रातः 8 बजे तक की होगी। अवकाश दिवस में ड्यूटी एवं रात्रिकालीन ड्यूटी का आफ संचालनालय,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के नियमानुसार दिया जावेगा।

14. संविदा चिकित्सा अधिकारी की सेवा अवधि भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग द्वारा राजपत्र में प्रकाशित संविदा नियम–2003 में निहित व समय–समय पर शासन द्वारा संशोधित किए गए अन्य प्रावधानों एवं मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.–5–2/2018/1/3,दिनांक 22.07.2023 द्वारा प्रसारित निर्देशो के अधीन होगी।

15. यह नियुक्ति विशिष्ट चिकित्सा इकाई (चिकित्सालय/औषद्यालय) के लिए होगी व स्थानांतरण की पात्रता नहीं होगी।

<u>संचालक द्वारा अनुमोदित</u>

सहायक संचालक
गैस राहत एवं पुनर्वास,भोपाल
भोपाल,दिनांक 16/01/2024

पृ. कमांक/एफ 17–4/संनि./2024/ 113
प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव,म.प्र.शासन,भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग,भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. संचालक,कमला नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,गैस राहत, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
4. अधीक्षक–कमला नेहरू चिकित्सालय/जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय/इंदिरा गांधी चिकित्सालय/मास्टरलाल सिंह चिकित्सालय/शाकिर अली खान चिकित्सालय,गैसराहत,भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. नोड्ल अधिकारी, वेबसाइट अपडेशन, कमला नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत, भोपाल की ओर सूचनार्थ
6. संबंधित संविदा, चिकित्सा अधिकारी, ...चिकित्सालय गैस राहत,भोपाल की ओर सूचनार्थ।

सहायक संचालक
गैस राहत एवं पुनर्वास,भोपाल